

उ0प्र0 राजस्व संहिता-2008 (उ0प्र0 अधिनियम-संख्या-8, सन 2012) की धारा-59 की उपधारा-4 के खण्ड (5) तथा उ0प्र0 राजस्व संहिता नियम-2016 के नियम-55 द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग करके और शासनादेश संख्या-744/एक-1-2016-20(5)/2016, दिनांक 03-06-2016 में दिये गये निर्देशों एवं शासकीय अधिसूचना संख्या-740/एक-1-2016-20 (5)/2016, दिनांक 03-06-2016 द्वारा प्रतिनिहित अधिकारों का उपयोग करते हुए शासनादेश संख्या-1131/आठ-1-17-08 विविध/2016, दिनांक 11-07-2016 में दिये गये निर्देशों के क्रम में, मे. राकेश कुमार सिंह, जिलाधिकारी, कानपुर देहात, सलगन अनुसूची में उल्लिखित भूमि, जो अब तक निम्न अनुसूची के स्तम्भ-1 में उल्लिखित ग्राम पंचायत/स्थानीय प्राधिकरण के प्रबन्धन में निहित थी, को फिर से अपने अधिकार में लेता हूँ।

अनुसूची

क्र. सं.	जिला	तहसील	परगना	ग्राम/स्थानीय निकाय	गाटा संख्या	क्षेत्रफल (हे० में)	भूमि की श्रेणी/प्रकृति	विवरण (प्रयोजन जिले के लिए भूमि पुनर्गठित की जा रही है)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	कानपुर देहात।	अकबरपुर	अकबरपुर	ग्राम आलम वन्दपुर नगर पंचायत अकबरपुर	03मि0 01किता	1.250हे० 1.250हे०	श्रेणी 5-1 नवीन परती	पी0एम0आवास योजना (शहरी) के अप्पाडेबुल हाउसिंग इन पार्टनरशिप प्लॉट के अन्तर्गत ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण हेतु निवर्तन पर (उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद)

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर देहात।

कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर देहात।

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, राजस्व अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 2- प्रमुख सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1, उ0प्र0शासन, लखनऊ।
- 3- आयुक्त, कानपुर मण्डल, कानपुर।
- 4- आवास आयुक्त, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, 104 महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ।
- 5- अधि0अमि0, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, निर्माण खण्ड-18 हंसपुरन, कानपुर।
- 6- उप जिलाधिकारी/तहसीलदार/अधि0अधि0 नगर पंचायत, अकबरपुर, जनपद कानपुर देहात को इस निर्देश के साथ कि इसका तत्काल राजस्व अभिलेखों में अंकन कराना सुनिश्चित करें तथा इस आदेश की एक प्रति तहसील भवन के सूचना पट पर दूसरी प्रति टाउन एरिया के सूचना पट पर तथा तीसरी प्रति पुनर्गठित भूमि के निकट किसी सार्वजनिक दृष्टव्य स्थान पर चस्पा करवाकर अनुपालन आख्या एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(राकेश कुमार सिंह)
जिलाधिकारी
कानपुर देहात।